कार्यालय जिला पंचायत, बाराबंकी

परमिट संख्या: 1783 / मानचित्र / जि0पं0 / 2019-20 दिनांक: 16 जनवरी, 2020

2020

श्री राम सजीवन वर्मा
पुत्र जगन्नाथ प्रसाद वर्मा,
अध्यक्ष, आर०एस०वी० एजूकेशनल ट्रस्ट,
निवासी ग्राम व पोस्ट सफदरगंज,
जनपद बाराबंकी।

अनुज्ञा-पत्र

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 04-01-2020 के साथ संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित भूमि खसरा / गाटा संख्या-707मि0, 717, 718 एवं 720 स्थित ग्राम सफदरगंज, परगना प्रतापगंज, तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी में शैक्षणिक भवन आर०एस०वी०कॉलेज ऑफ़ फार्मेसी एंड पैरामेडिकल साइंसेज निर्माण हेतु कवर्ड एरिया 2681.23 वर्ग मीटर हेतु प्रस्तावित मानचित्र की स्वीकृति कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, बाराबंकी के पत्र संख्या- यूआईडीनम्बर-यूपीएफएस/2020/15309/ बीआरबी / बाराबंकी/163/सीएफओ, दिनांक 03-01-2020 एवं निर्गत तिथि दिनांक 04-01-2020 में निहित निर्देश के क्रम में जारी प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त माननीय अध्यक्ष द्वारा दिनांक 16-01-2020 को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

माननीय अध्यक्ष की स्वीकृति दिनांक 16-01-2020 के अनुक्रम में उपर्युक्त मानचित्र जिला पंचायत बाराबंकी की भवन निर्माण उपविधि दिनांक 21 मई 2011 के उपबन्धों के अधीन तथा निम्नलिखित उपबन्धों / प्रतिबंध सहित स्वीकार किया जाता है।

1) अनुज्ञा पत्र जारी करने के उपरान्त यदि संज्ञान में आता है कि नक्शा स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है अथवा गलत है, तो जिला पंचायत द्वारा की गयी स्वीकृति स्वयं में निरस्त मानी जायेगी। निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील किया जा सकता है।
2) मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त आवेदक द्वारा लोक निर्माण विभाग, अग्निशमन विभाग, प्रदूषण विभाग, पर्यावरण विभाग, वाणिज्य कर विभाग, जिला प्रशासन एवं अन्य विभागों से यथा आवश्यक लाइसेंस/ अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यस्थल पर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य कुशल एवं दक्ष आर्किटेक्ट / इंजीनियर की देख-रेख में कराना होगा।
3) प्रतिबंध यह रहेगा कि प्रस्तावित भवन निर्माण कार्य करते समय तथा निर्माण अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री सम्मुख मार्ग पर एकत्रित / अतिक्रमण नही किया जायेगा।
4) प्रतिबंध यह रहेगा कि आवेदक द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट स्थापित कर जलमल / सीवरेज / उत्सर्जित पदार्थ का निस्तारण पर्यावरण / प्रदूषण विभाग के मानकों के अनुरूप सुनिश्चित् किया जाये।
5) प्रतिबंध यह रहेगा कि मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबन्धित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल्स/ लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के नियम यथावत लागू रहेंगें
6) प्रतिबंध यह रहेगा कि स्कूल भवन निर्माण कार्य मानचित्र के अनुसार कुल कवर्ड एरिया भवन 2681.23 वर्ग मीटर एवं ओपेन एरिया 10935.56 वर्ग मीटर से ही निर्माण कार्य प्रतिबन्धित होगा।
7) प्रतिबंध यह रहेगा कि कम से कम 125 वृक्ष का वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना होगा